RAJYA SABHA

Friday, the 9th December, 2005/18 *Agrahayana,* 1927 (*Saka*)

The House set at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले बूचड़खानों के विरुद्ध शिकायतें

*241. [The questioner (Shri Rajeev Shukla) was absent. For answer *vide* page No. 45]

*242. **डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य नियंत्रण बोर्ड/समितियों को बूचड़खाने द्वारा पर्यावरण प्रदूषित किये जाने की कितनी शिकायतें की गई है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) शिकायतकर्ताओं के नाम तथा उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) उपरोक्त शिकायतों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या शिकायतकर्ताओं को भी जांच परिणामों से अवगत कराया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले बूचड़खानों के विरुद्ध शिकायतें

(क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पिछले तीन वर्षों के दौरान बूचड़खानों द्वारा होने वाले प्रदूषण की सात शिकायतें प्राप्त हुई हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर और आंध्र प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 56 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, नागालैण्ड, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, गोवा, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने सूचित किया है कि उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान बूचड़खानों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे सहित की गई कार्रवाई विवरण-I के रूप में संलग्न है (नीचे देखिए)। प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ शिकायतकर्त्ताओं को सूचित कर दिया गया है।

विवरण-I

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतें

वर्ष	शिकायतकर्त्ता	शिकायत का संक्षेप	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1. 2003	श्री लक्ष्मी नारायण मोदी कार्यकारी निदेशक, एनिमल राईट इन्टरनैशनल नई दिल्ली	देवनार बूचड़खाना, मुम्बई बिना शोधन के बहिस्राव का निस्तारण करता है।	मामले को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ उठाया गया है। देवनार बूचड़खाने को निवारक उपायों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है दोनों ने सूचित किया है कि आवश्यक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित किया जा चुका है।
2. 2004	श्री ए॰ एम॰ तिवारी, अध्यक्ष, वैल्फैयर ऐसोसियेशन, हाइवे अपार्टमैंट दिल्ली	गाजीपुर बूचड़खाना दिल्ली (निर्माणाधीन) ऐसे बहिस्राव जनित करेगा जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के (बुफैलो ट्रेडर्स वैलफेयर एसोसियेशन बनाम भारत सरकार एवं अन्य) सी ए संख्या 3769/1996 में दिए अपने आदेशों के अनुसार दिल्ली नगर निगम द्वारा बूचड़खाने का निर्माण किया जा रहा है और इसमें बहिस्राव शोधन और ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी।
3. 2004 से 2005	श्री लक्ष्मी नारायण मोदी कार्यकारी निदेशक, एनिमल राईट इन्टरनैशनल, नई दिल्ली	बूचड़खानों में एक या दो को छोड़कर इनमें बहिस्रावों के उपयुक्त शोधन के लिए बहिस्राव शोधन संयंत्र नहीं है। उनमें भी नहीं है जो महानगरों या बड़े शहरों में स्थित है।	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बूचड़खानों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण निवारण समितियों से बातचीत कर रहा है। इस प्रक्रिया में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत 14 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देशों के अनुस्मारक सहित निर्देश जारी किए गए हैं।

1	2	3	4
4. 2005	एयर कामोडोर एयर ऑफीसर कमांडस एयर फोर्स स्टेशन हिन्डन गाजियाबाद	गाजीपुर बूचड़खाने, दिल्ली के कारण वायुयानों से पक्षियों की भिड़न्त की संभावना बढ़ी है। अत: निर्माण की अनुमति नहीं है।	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय के (बुफैलो ट्रेडर्स वैलफेयर एसोसियेशन बनाम भारत सरकार एवं अन्य) सी ए संख्या 3769/1996 में दिए गए अपने आदेशों के अनुसार दिल्ली नगर निगम बूचड़खाने का निर्माण करवा रहा है। महानिरीक्षक, नागरिक उड्डयन ने भी स्थल के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है।
5.	प्रो॰ बी॰ आर॰ प्रधान, सचिव, मोरीग्राम परिवेश सुरक्षा समिति, हावड़ा	मैसर्स फीजेरियो कर्सववालना लि॰, मोरीग्राम, हावड़ा। इकाई के प्रचालन से प्रदूषण होता है और बहिस्त्रावों से भूमिगत जल और मृदा अवक्रमण होता है।	मामले पर पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बातचीत की गई है इकाई को पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रचालन रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं इसकी सूचना प्रो॰ प्रधान को दे दी गई है।
6. 2005	डा॰ छत्तरपाल सिंह लोधा संसद सदस्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के माध्यम से	मैसर्स हिन्द एग्रो इन्डस्ट्रीज, अलीगढ़ बूचड़खाना वायु जल और अन्य प्रदूषण फैला रहा है।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बूचड़खाने का निरीक्षण 15.9.05 को किया गया था। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। दिनांक 25.10.2005 के पत्र द्वारा डा॰ लोधा को सूचित कर दिया गया था।
7. 2005	डा छत्तरपाल सिंह लोधा, संसद सदस्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राज्य सभा सचिवालय के माध्यम से	अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले में बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण इकाईयों से निकलने वाला खून बोरवैल के जरिये बहा दिया जाता है जिससे निकट भूमिगत जल और जलाशय प्रदूषित हो रहे हैं।	मामले पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बातचीत की गई। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि (i) नगर निगम, अलीगढ़ और नगर पालिका, खुर्जा के दो खुले बूचड़खानों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अनुपालन न करने और बहिस्राव शोधन संयंत्रों के स्थापित न किए जाने, जिनके कारण जल प्रदूषण हो रहा था, बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। (ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त दो अन्य आधुनिक बूचड़खाने हैं जिनमें बहिस्राव शोधन संयंत्र और रेंडरिंग द्वारा ठोस अपशिष्टों के निपटान की व्यवस्था

1	2	3	4
			है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मैसर्स हिन्द एग्रो लि॰ को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया है क्योंकि शोधित बहिस्राव मानकों के अनुसार नहीं थे और मैसर्स अलहन्द के बारे में ट्रायल रन के लिए वायु और जल अनुमति प्रदान नहीं की गई थी क्योंकि उनके बहिस्राव शोधन संयंत्र में सुधार किया जाना था। दिनांक 29.8.2005 पत्र द्वारा डा॰ लोधा को सूचित कर दिया गया था।

ख:- पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्यों का नाम	शिकायतकर्त्ता	किसके विरूद्ध	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र (4)	श्री शेख गयासुदीन जिला अहमद नगर 2005	श्री अबिद जब्बद कुरैशी द्वारा संचालित बूचड़खाना ताल्लुका पठारंडी जिला अहमदनगर	बूचड़खाना बंद कर दिया गया है।
2.		ग्राम पंचायत उसारली, तालुका पनवल जिला रायगढ़ (2004)	मैसर्स रॉयल फूड्स चिलका गांव, जिला रायगढ़ द्वारा संचालित बूचड़खाना	बोर्ड ने स्वीकृति रद्द कर दी है।
3.		शोलापुर के निवासी	शोलापुर में बूचड़खाना	बूचड़खाने का स्थानांतरण कर दिया गया है।
4.		कोपरगांव नगर परिषद के निवासी (2004)	कोपरगांव में बूचड़खाना	बूचड़खाना बंद कर दिया गया है।
5.	कर्नाटक (4)	श्री कृष्ण भट्ट बंगलौर (2005)	बंगलौर शहर में बूचड़खाना	कर्नाटक उच्च न्यायालय ने समय बढ़ा दिया है।
6.		राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (2003)	नेसारजी गांव बेलगाम में बूचड़खाना	कार्य तब तक रोक दिया गया है जब तक के एस पी सी वी से मंजूरी नहीं मिल जाती

1	2	3	4	5
7.		प्रशासन अधिकारी सेन्टर फॉर अडवांस रिसर्च डैवलपमैंट बंगलौर (2005)	के॰ आर॰ पुरम बंगलौर में पिगरी फार्म हाऊस द्वारा गंदगी फैलाना	के एस पी सी बी ने इसे बंद करने के लिए नगर निगम को नोटिस जारी किया है।
8.		श्रीमती रामादेवी अम्बेडकर, महिला सेवा सहाय संघ बेलगाम (2005)	संकेशवाड़ा में बूचड़खाना मक्खियों और आवारा कुत्तों द्वारा गन्दगी फैलाना	के एस पी सी बी ने कार्रवाई आरम्भ कर दी है।
	मध्य प्रदेश (1)			
9.		एक समाचार विज्ञप्ति पर एन पी ह्यूमन राईट कमीशन भोपाल में बूचड़खाना	भोपाल का बूचड़खाना पुराना है और पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।	बोर्ड ने बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ह्यूमन राईट कमीशन को सूचित कर दिया गया है।
10.	केरल (17)	चावरा के श्री राधा कृष्ण (2003)	श्री शाहजहान का बूचड़खाना	छानबीन की गई और इकाई को बंद करने के निर्देश जारी किए गए।
11.		कलाम जिले के श्री रोबिन मैट्यो (2003)	श्री जैकोब मोरिस का पिग फार्म	निर्देश दिए गए और सुविधा उपलब्ध कराई गई, स्वीकृति जारी की गई
12.		श्री संतोष घोटून गाय वीडु साकेथि कुलंगाऊ (2003)	श्री डी आर जय उदयगिरी का अमरधुआ पोलटरी फार्म, साकेथी कुलंगाऊ	आवश्यक निपटान सुविधाएं मुहैया कराई गई है, स्वीकृति जारी की गई
13.		मटनचेरी और कलूर के निवासी कलूर कोची निगम अर्णाकुलम 2003	मटनचेरी और मलूर में बूचड़खाना कोची निगम	इकाई ने आधुनिक बूचड़खाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है।
14.		अयमपुजा पंचायत के निवासी (2003)	अयमपुजा पंचायत में बूचड़खाना	अयमपुजा पंचायत को आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेश जारी कर दिए गए हैं।
15.		व्हाईट सिटी आर्ट एंड स्पोर्टस क्लब किल्ली (2004)	श्री जलाल का, श्री डेनसन कोट्टयम का पिग फार्म अनाधिकृत बूचड़खाना	पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि उपयुक्त उपायों के बिना प्रचालन की अनुमति न दे।

1	2	3	4	5
16.		कोल्लम जिले से जन शिकायत (2004)	श्री डेनसन कोट्टयम का पिग फार्म	निर्देश दिए गए। बायोगैस संयंत्र उपलब्ध करा दिया गया है। स्वीकृति जारी की गई।
17.		मोहम्मद कुन्जु लब्बा एवं अन्य वाली कुन्नम अलपुजा (2004)	श्री जलील वालीकुन्नम का बूचड़खाना	वालीकुन्नम पंचायत को यह निर्देश जारी किए गए है कि बिना उपर्युक्त उपायों के प्रचालन अनुमति न दे।
18.		श्री अरविंदाक्षण, अरूकुट्टी पंचायत (2004)	श्री अबदुल्ला के स्वामित्व में बूचड़खाना	अरूकुट्टी पंचायत को कार्रवाई के लिए दिया गया निर्देश
19.		स्थानीय लोग, थ्रिसुर (2004)	थ्रिसुर निगम के स्वामित्व में बूचड़खाना	सहमति को ठुकरा दिया गया।
20.		पुठियाकाबू खिलिमनूर, तिरूवनंतपुरम के निवासी (2005)	सार्वजनिक बाजार में कार्यरत बूचड़खाना	पंचायत को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
21.		शंकर नगर निवासी संघ, तिरुवनंतपुरम (2005)	मीरमंकरा में के॰बी॰ मुर्गीखाना	तिरुवनंतपुरम निगम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
22.		श्रीमती लैला चेहरमंदीराम पूयापट्टी, कोल्लम (2005)	श्री थाहाकुट्टी के स्वामित्व में एस॰ एस॰ मुर्गी खाना।	इकाई को निर्देश दिया गया है।
23.		श्री सहीर वालाकुडुवीडू पेरिनगाला कृष्णानापुरूम पंचायत, कायमकुलम और श्री अनीर्स वालाकाकोटु वीडू (2005)	श्री ओलीपारमपवन हयसा पट्टमथ के स्वामित्व में बूचड़खाना	पूछताछ की जा रही है और बूचड़खाना बंद कर दिया गया है।
24.		समिति पायानदम स्थानीय समिति पालाकाड़	श्री ओजीपाराभवन हयसा पट्टमथ के स्वामित्व में बूचड़खाना	पूछताछ की जा रही है और बूचड़खाना बंद कर दिया गया है।
25.		इन्टरनेशनल काफिडरेशन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन समिति, तिरूवनंतपुरम 2005	श्री बशीक अमायपिलाम नैनमेरी ग्राम पंचायत के स्वामित्व में बूचड़खाना गीतांजलि पेट्रोल पम्प सुल्तान स्नानघाट के निकट बूचड़खाना	कार्यों को रोकने के लिए ग्राम पंचायत नैनमेरी सुल्तान वाथेरी नोटिस जारी करना।

1	2	3	4	5
26.		अध्यक्ष बूचड़खाना हटाओ कार्य समिति (2005)	थावाकारा मर बूचड़खाना	बूचड़खाना बंद दिया गया है
27.	तमिलनाडु (1)	जन शिकायत (2005)	चेन्नई में पेराम्बूर पर बूचड़खाना	बूचड़खाना को आधुनिक बनाने के लिए निदेश जारी करना।
28.	हिमाचल प्रदेश	श्री सुरेन्द्र कुमार विष्ट, शीला देवी विष्ट और अन्य	लोअर सैरी में बूचड़खाना मोहल्ला, जोगिन्दर नगर	संबंधित नगर पंचायत को निर्देश जारी किए गए हैं।
29.	उत्तर प्रदेश (6)	श्रीमती जया बच्चन माननीय सदस्य राज्य सभा (2005)	अलीगढ़ के निकट मांस प्रसंस्करण इकाई	राज्य बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी गई हे। मैसर्स हिन्द एग्रो उद्योग अलीगढ़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यु पी पी सी वी द्वारा नगर निगम, अलीगढ़, नगर पालिका खुरैजा को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए जाऐगे।
30.		डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा संसद सदस्य (2005)	मैसर्स हिन्द एग्रो उद्योग अलीगढ़ के बारे	कारण बताओ नोटिस जारी करना दिनांक 25.10..2005 पत्र द्वारा डा॰ लोधा का सूचित किया गया है।
31.		डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा संसद सदस्य (2005)	अलीगढ़ के निकट मीट उद्योगों के बारे में	राज्य बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया गया और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सूचना भेजी गई है। मैसर्स हिन्द एग्रो उद्योग अलीगढ़ को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। दिनांक 29.8.2005 के पत्र सं॰ द्वारा डा॰ लोधा को सूचित किया गया।
32.		चांदपुर गांव जिला उन्नाव (2004)	मैसर्स इण्डो एग्रो फूड लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र उन्नाव	उद्योग को दिशानिर्देश जारी किए गए।
33.		बराबंकी गांव (2004)	मैसर्स एमरान फूड प्रा॰ लि॰ कुरसी रोड, बाराबंकी	शिकायत सही नई पाई गई
34.		श्री ब्रिजेश पाठक, सांसद सिविल लाइन उन्नाव (2005)	मैसर्स इन्ड फूड लि॰ इण्डस्ट्रीयल एरिया, उन्नाव	उद्योग को निर्देश जारी किए गए

1	2	3	4	5
35.	पश्चिम बंगाल (14)	श्री रमजान अली एण्ड अन्य जंगलपारा हुगली जगतबालापुर (2003)	श्री मुजीबर गांव कोटीपुर जंगलपारा हुगली जगतबालापुर	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया
36.		अब्दुल रफीम मौला एवं अन्य, रायनगर जायनरात 24 परगना (2003)	अब्दुल रजीक मौला, मलयारब हुसैन, मौली रायनगर जायनरात 24 परगना	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया।
37.		गनेन्द्र नाथ सिंघा एवं अन्य, जे/एम-7 बगुलानी, एशियननगर, कोलकाता (2004)	हाजी अशर्फी मीट शाप जे/एम-5 एशियननगर राजरहाट कोलकाता	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया।
38.		एच॰ सेनगुप्ता एवं अन्य 11/1ए, 1, 1 सी आर॰ बी॰ बी॰ रोड कोलकाता (2004)	मीट शाप 11/1ए 1,1 सी॰ आर॰ बी॰ सी॰ रोड, स्टीफन एन्क्लेव कोलकाता	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया
39.		धीरेन्द्र नाथ बासु 54, डब्ल्यु सी बनर्जी स्ट्रीट	न्यू हाजी रिवाजी मीट शाप 64, कोलकाता	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया
40.		मगराहट के निवासी	बूचड़खाना-अलकुल गाजी-VIII ईस्ट बीजरला मगराहट	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया
41.		ई एच ओ के एम सी, 518 डी एच रोड कोलकाता (2004)	बूचड़खाना सरकरशट सरकरशट लेन कोलकाता	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया
42.		रफीक रहमान एवं अन्य, प्रयागपुर कनका, बरदवान (2004)	ताहिर कुरैशी प्रयागपुर कनकी, बरदवान	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया
43.		कुदोहलकल आर बी एस रोड के निवासी चम्पदानी, हुगली	मो॰ आलम सायरा बुस्ती, डा॰ नोनी बायलेन, चम्पदानी, हुगली	छोटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया

1	2	3	4	5
44.		आलोक कुमार, 507 जोधपुर पार्क कोलकाता (2005)	बूचड़खाना जोधपुर पार्क, लेक, कोलकाता	छेटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया
45.		अज्ञात (2005)	संग्रामपुर में बूचड़खाना संग्रामपुर, उस्थी 24 परगना	छेटी यूनिट, सफाई का सुझाव दिया गया
46.		भूरीग्राम परिवेश सुरक्षा समिति, भूरीग्राम स्टेशन, पारा, पो॰ओ॰ धुलिया, हावड़ा-(2005)	मैसर्स फ्रिगरलो कर्न्सदा एलियन लि॰, अन्दुल रोड़, धुलिया भुरीग्राम, हावड़ा	प्रचालन रोकने के लिए आदेश दिए गए
47.	आन्ध्र प्रदेश (8)	मैसर्स विजयी इलेक्ट्रिक लिमिटेड रूद्राराम (वी)	मैसर्स अलकाबीर एक्सपोर्ट लिमिटेड रूद्राराम (वी) मेडक जिला	उद्योग को निर्देश जारी किए गए और बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मॉनीटर किए जा रहे हैं।
48.		श्री हनुमथु नायक, एरदानूर टंडा	वही	वही
49.		जिला कलक्टर के द्वारा प्राप्त शिकायत, मेडक	मैसर्स फ्रेगरियो कर्न्सदा एलाना लिमिटेड अलगोल (वी) मेडक जिला	उद्योग को निर्देश जारी किए गए और बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मॉनीटर किए जा रहे हैं।
50.		सरपंच, डिदगी (वी) जहीराबाद (एम) और जिला कलक्टर के द्वारा भी	वही	वही
51.		श्री ए॰ नरेन्द्र माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार	वही	वही
52.		जिला सप्लाई अधिकारी ई॰जी॰ जिला	चोदावरम पर स्थित बूचड़खाना	धारा 133 के सी आर पी के अन्तर्गत बूचड़खाने के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए आर डी ओ, राजामुन्दरी

1	2	3	4	5
53.		श्री वी रामास्वामी, पदमा साली बाहोटामा समित, मंगलागिरी शहर, गुंटूर जिला	मैसर्स कालाकोटी बोया जू बूचड़खाना	उत्पादन रोकने के लिए निर्देश जारी
54.		मैसर्स कौसर शाहीन, हैदराबाद	रामनीस्थापुरा बूचड़खाना	माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार 31.12.2003 को बूचड़खाना बंद कर दिया।
55.	राजस्थान (1)	श्री ए॰पी॰ जैन एम एल ए, टांक (2004)	टांक पर बूचड़खाने को अन्तरित करना	बूचड़खाने को बंद करने के लिए बूचड़खाने को निर्देश जारी करना
56.	जम्मू और कश्मीर (1)	मोहल्ला ईदगाह भादेरवाह, डोडा के निवासी	अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा बूचड़खाना चवाना भादेरवाह	प्रशासक, नगरीय समिति को निर्देश जारी करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंध पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए।

Complaints against slaughter houses causing environmental pollution

†*242. DR. CHHATTRAPAL SINGH LODHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the number of complaints received by the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Boards/Committees during the last three years regarding environmental pollution caused by slaughter houses;

(b) the names of complainants and the details of their complaints alongwith the names of those against whom each complaint has been made;

(c) the action taken by the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Boards/Committees on such complaints; and

(d) whether complainants have also been apprised of the outcome of inquiry?

†Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMO NARAIN MEENA): (a) to (d) A Statement is laid on The Table of the House.

Statement

(a) to (d) As per information made available by the Central Pollution Control Board (CPCB) and the State Pollution Control Boards (SPCBs)/ Pollution Control Committees (PCCs), the CPCB has received seven complaints during the last three years regarding environmental pollution caused by slaughter houses. The SPCBs of Maharashtra, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Jammu & Kashmir and Andhra Pradesh have received a total of fifty six complaints during the three years on the subject.

The State Pollution Control Boards of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Nagaland, Mizoram, Orissa, Pondicherry, Chandigarh, Goa, Punjab, Jharkhand and Chhattisgarh have informed that they have not received any complaints during the last three years regarding slaughterhouses.

The details of the complaints received by CPCB and SPCBs/PCC's along with the action taken are enclosed as Statement-I (*See* below). As per information received some of the complainants have been apprised.

Statement-I

A. Complaints received by the CPCB during last three years

Sl. No.	Year	Complainant	Brief about complaints	Action taken
1	2	3	4	5
1.	2003	Shri Laxmi Narain Modi, Executive Director, Animal Rights International, New Delhi	Deonar Slaughter House, Mumbai releases effluents treatment.	The matter was taken up with the Maharashtra Pollution Control Board. The Deonar Slaughter House was also asked to provide details of the control measures. Both of them reported that requisite effluent treatment plant has been installed.
2.	2004	Shri A.M. Tiwari, President, Welfare Association	The Gazipur Slaughter House, Delhi (under construction) would	The Ministry of Environment & Forests was apprised that the slaughter house is being

1	2	3	4	5
		Highway Apartments, Delhi	generate effluents which will create health hazards	constructed by Municipal Corporation of Delhi as per the orders of the Hon'ble Supreme Court in CA No. 3769/1996, (Buffalo Traders Welfare Association Vs Union of India and Others) and will have modern facilities for treatment of effluents and disposal of solid waste.
3.	2004 to 2005	Shri Laxmi Narain Modi, Executive Director, Animal Rights International, New Delhi	Slaughter Houses , except the one or two in general do not have ETP for proper treatment of effluents including those situated in metropolitan cities and Capital towns	CPCB has been pursuing with SPCBs/PCCs to initiate action for pollution control in slaughter houses. In the process, directions under Section 18(1) (b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 were issued to 14 SPCBs along with reminder to the directions.
4.	2005	Air Commodore, Air Force Station Hindon, Ghaziabad. Through District Magistrate & Principle Secretary U.P.	Possible increase of Bird Hits to Aircrafts due to Gazipur Slaughter House, Delhi. Construction hence not be permitted.	The Principal Secretary, Govt. of U.P. was informed that the slaughterhouse is under construction by Municipal Corporation of Delhi as per the orders of the Hon'ble Supreme Court in CA No. 3769/1996, (Buffalo Traders Welfare Association Vs Union of India and Others). The DG Civil Aviation has also given NOC for the site.
5.	2005	Prof. B.R. Pradhan, Secy., Mourigram Paribesh Surakasha Committee, Howrah	M/s Frigerio Conserva Allana Ltd., Mourigram, Howrah. Operation of this unit causes air pollution and effluents leading to ground water and soil degradation.	Matter was taken up with the West Bengal Pollution Control Board (WBPCB).The unit has been issued direction by WBPCB for suspension of operation. The same intimated to Prof. Pradhan.
6.	2005	Dr. Chhattrapal Singh Lodha, MP through Ministry of Environment &	M/s Hind Agro Industries, Aligarh. slaughter house causing air, water and	The slaughterhouse was inspected by a team of officers from the Ministry of Environment & Forests,

1	2	3	4	5
		Forests	types of pollution	Central Pollution Control Board and U.P. Pollution Control Board (UPPCB) on 15.9.05. The UPPCB has issued show cause notice. *Vide* letter dated 25-10-2005 Dr. Lodha was apprised.
7.	2005	Dr. Chhattrapal Singh Lodha, M.P. through Ministry of Environment & Forests and Rajya Sabha Secretariat	In the Slaughter houses/ Meat Processing units in Distt. Aligarh and Bulandshahar the waste and blood generated disposed through bore well causing ground water and pollution of ponds in near by area	The matter was taken up with UPPCB. The UPPCB informed that: i) Two open slaughter houses owned by Nagar Nigam, Aligarh & Nagar Palika Khurja were issued closure orders for non-compliance of the provisions of the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 & for not installing Effluent Treatment Plants and thereby causing water pollution. ii) In addition to the above, there are two other modern slaughterhouses, which have effluent treatment plant and arrangements for disposal of solid waste by rendering. UPPCB has issued show cause notice under Water (Prevention and Control of Pollution) Act to M/s Hind Agro Ltd since the treated effluents were not meeting the standards and in respect of M/s Al-hand, the air and water consents for trial run were not issued since their ETP needed improvement. *Vide* letter dated 29-08-2005 Dr. Lodha was apprised.

B: Details of complaints received by the State Pollution Control Boards during last three years

Sl. No.	Name of States	Complainant	Against whom	Action taken
1	2	3	4	5
1.	Maharashtra (4)	Shri Shaikh Giyasuddin, Dt. Ahmednagar (2005)	Slaughter house operated by Shri Abid Jabbar Kureshi, Tal: Pathardi, Dist: Ahmednagar	Slaughter house closed down.
2.		Gram Panchayat: Usarli, Tal: Panvel, Dist Raigad (2004)	Slaughterhouse operated by M/s. Royal Foods, Chikle Village, Dist Raigad.	The Board has revoked the consent.
3.		Residents of Solapur (2004)	Slaughterhouse at Solapur	Slaughterhouse has been shifted.
4.		Residents of Kopargaon Nagar Parishad (2004)	Slaughter house at Kopargaon	The slaughter house closed down.
5.	Karnataka (4)	Shri Krishna Bhat, Bangalore (2005)	Slaughterhouse in Bangalore City	High Court of Karnataka granted extension of time.
6.		State Highway Authority, Belgaum (2003)	Slaughterhouse at Nesargi Villege Belgaum.	Operations stopped till clearance is obtained from KSPCB.
7.		Administrative Officer, Centre for Advance Research Development, Bangalore (2005)	Nuisance of Piggeries at K.R Puram, Bangalore	KSPCB has issued notice for closure to Municipal Corporation.
8.		Shrimati Ramadevi Ambedkar, Mahila Sewa Sahaya Sangha, Belgaum (2005)	Slaughterhouse at Sankeshwara. Nuisance of flies and stray dogs	The KSPCB has initiated action.

1	2	3	4	5
9.	Madhya Pradesh (1)	On a news paper item on Slaughter-house at Bhopal from MP Human Rights Commission (2003)	Slaughterhouse at Bhopal is old and is not suitable from environmental angle	The Board has issued closure directions. The Human Rights Commission was informed.
10.	Kerala (17)	Mr Radhakrishna of Chavara, (2003)	Slaughterhouse owned by Shri Shajahan	Enquiry conducted and directed to Close the unit.
11.		Mr. Robin Metto of Kallam Distt. (2003)	Pig Farm Owned by Mr Jacob Morris, Kollam	Directions given and then facilities provided. Consent issued.
12.		Sri C. Santosh Kottungai Veedu Sakithikulangau (2003)	Amurutha Poultry Farm Owned by Shri D.R. Jai udayagiri Saikithikulangau	Necessary disposal facilities provided. Consent issued.
13.		Residents of Mattancherry and Kaloor, Kochi Corporation, Ernakulam (2003)	Slaughter house at Mattancherry and Kaloor, Kochi Corporation.	The unit has applied for consent for modernized slaughterhouse.
14.		Residents of Ayyampuzha Panchayat (2003)	Slaughterhouse at Ayyampuzha Panchayat	Directions issued to Ayyampuzha Panchayat for necessary action.
15.		White City Arts & Sports Club, Killy (2004)	Unauthorised slaughterhouse owned by Shri Jalal	Directions given to the Panchayat not to allow the operations without proper measures.
16		Mass complaint from Kollam Distt. (2004)	Pig farm owned by Shri Denson Kottiyom	Directions given. Provided bio-gas plant, consent issued.
17.		Muhammed Kunju Labba & others Valikunnam, Alappuzha. (2004)	Slaughterhouse owned by Shri. Jaleel, Valikunnam	Directions given to the Valikunnam, Panchayat. not to allow the operations without proper measures.
18.		Sri. Aravindakshan, Arookutty Panchayat (2004)	Slaughterhouse owned by Shri Abdulla	Directions given to the Arookutty Panchayat for action.

1	2	3	4	5
19.		Local People, Thrissur. (2004)	Slaughterhouse owned by Thrissur Corporation.	Refused consent.
20.		Residents of Puthiyakavu,, Khilimanoor, Thiruvananthapuram. (2005)	Slaughterhouse functioning in the public market	Directions given to the Panchayat for action.
21.		Sankar Nagar Resident's Association, Thiruvananthapuram. (2005)	K.B. Poultry farm at Neeramankara	Directions given to Thiruvananthapuram Corporation for action.
22.		Smt. Laila, Cheharmandiram, Pooyapatty, Kollam (2005)	S.S. Poultry farm owned by Shri Thahakutty	Directions given to the unit.
23.		Sri Saheer, Valakkodu Veedu Peringala, Krishnapuram Panchayath, Kayamkulam & Sri Aness, Valakkotu Veedu. (2005)	Slaughterhouse owned by Shri Olliparamban Hamsa, Pattamth	Enquiry conducted and slaughtering stopped.
24.		The Society Payyanedam, Local Committee, Palakkad Pattamth	Slaughterhouse owned by Shri Olliparamban Hamsa, Pattamth	Enquiry conducted and slaughtering stopped.
25.		International Confederation Human Right Protection Committee, Thriuvananthapuram (2005)	Slaughterhouse owned by Mr. Basheer Ammmayipalam Nenmeri Gram Panchayat. Slaughterhouse near Gettajali Petrol Pump, Sulthan Bathery	Notice issued to Gram Panchayat Nenmeri Sulthan Barthery to stop the activities.

1	2	3	4	5
26.		Chairman, Slaughter Removal Action Committee.(2005)	Slaughterhouse at Thavakkara	Slaughterhouse closed down.
27.	Tamil Nadu (1)	Public complaint (2005)	Slaughterhouse at Perambur in Chennai.	Directions issued to modernize the slaughter-house.
28.	Himachal Pradesh (1)	Sh. Surinder Kumar Bisht, Shila Devi Bisht, and others (2005)	Slaughterhouse in Lower Sairy Mohalla, Joginder Nagar.	Directions issued to the concerned Nagar Panchayat.
29	Uttar Pradesh (6)	Smt. Jaya Bachan, Hon. Member Rajya Sabha (2005)	Meat Processing units near Aligarh	Inspection conducted by the State Board and report sent to U.P. Government. Show causes notice issued to M/S Hind Agro Industries Aligarh. Slaughter houses owned by Nagar Nigam. Aligarh & Nagar Palika Khurja were issued closure orders by UPPCB.
30.		Dr. Chhattrapal Singh Lodha, MP (2005)	Regarding M/S Hindu Agro Industries, Aligarh	Show cause notice *Vide* letter dated 25-10-2005. Dr. Lodha was apprised.
31.		Dr. Chhattrapal Singh Lodha, MP (2005)	Regarding meat industries situated near Aligarh	Inspection conducted by the State Board and report sent to CPCB and the Ministry of Environment and Forests. Also issued show cause notice to M/S Hind Agro Industries Aligarh. *Vide* letter dated 29-08-2005. Dr. Lodha was apprised.
32.		Villages of Chand Pur, Distt. Unnao (2004)	M/s Ind. Agro Food Ltd. Industrial area, Unnao	Directions issued to the industry.
33.		Villages of Barabanki (2004)	M/s Amroan Food Pvt. Ltd. Kursi Road, Barabanki	Complaint was not found correct.

1	2	3	4	5
34.		Sri Brijesh Pathak, MP, Civil Lines Unnao (2005)	M/s Ind. Agro Food Ltd, Industrial area, Unnao	Directions issued to the industry.
35.	West Bengal (14)	Sh. Ramjan Ali & Ors. Janglpara Hooghly Jagatballabpur (2003) Jagatballabpur	Sh. Muzibur Vill. Kotoipur. Janglpara Hooghly	Tiny unit, advised for cleanliness.
36.		Abdur Rafique Molla & Ors. Roynagar, Joynarart 24-Pgs (S) (2003)	Adbul Rajjak Molla/ Mlyarab Hossain Mollie Roynagar, Joynarart,24 Pgs (S),	Tiny unit, advised for cleanliness
37.		Ganendra Nath Singha & Ors J/M 7, Bagulati Aesininagar, Kolkata-700059 (2004)	Haji Asharfi Meat Shop J/M-5 Asininagar, Rajarhat, Kolkata-059	Tiny unit, advised for cleanliness.
38.		H. Sengupta & Ors. 11/1A, 1,1C, R.B.C.Road, Kolkata- 028(2004)	Meat Shop 11/A, 1,1C, R.B.C. Road, Stephan Enclave, Kolkata-028	Tiny unit, advised for cleanliness.
39.		Dhirendranath Basu, 54 W.C Banerjee Street, Kolkata (2004)	New Haji Rewaji Meat Shop 64 W.C. Banerjee Street, Kolkata	Tiny unit, advised for cleanliness.
40.		Inhabitants of Magrahat (2004) Bejerla, Magrahat, 24-PGs (s)	Slaughter House-Alkus Gazi VIII, East Bejerla, Magrahat, 24-PGs (s)	Tiny unit, advised for cleanliness.
41.		EHO, KMC, 518, D.H. Road, Kolkata-034 (2004)	Slaughter House at Sarkarhst 2, Sarkarhat Lane Kolkata-061	Tiny unit, advised for cleanliness.
42.		Rafiqur Rehaman & Ors, Prayagpur, Kankee, Burdwan (2004)	Tahir Quraishi, Prayagpur, Kankee Burdwan	Tiny unit, advised for cleanliness.
43.		Residents of Kudohlkal R.B.S. Road, Chainpdany, Hooghly (2005)	Md. Alam Saira Bustee, Dr. Noone Bye Lane, Champdany, Hoogly	Tiny unit, advised for cleanliness.

1	2	3	4	5
44.		Alok Kumar, 507, Jodhpur Park, Kolkata-068 (2005)	Slaughter Jodhpur Park Lake, Kolkata 058	Tiny unit, advised for cleanliness.
45.		Anonymous (2005)	Slaughter House at Sangrampur Sangrampur Usthi, 24, PGs(N)	Tiny unit, advised for cleanliness.
46.		Mourigram Paribesh Suraksha Committee, Mourigram Station Para, P.O. Dulliya, Howrah-302 (2005)	M/s. Fringerlo Conserve Aliana Ltd., Andul Road, Dulliya, Mourigram, Howrah-302	Ordered for the suspension of operation.
47.	Andhra Pradesh (8)	M/s Vijai Electrical Ltd., Rudraram (V)	M/s Alkabeer Exports Ltd., Rudraram (V), Medak District	Directions issued to the industry and is being monitored regularly by the Board.
48.		Sri Hanumanthu Naik, Eardanoor Tanda	-do-	-do-
49.		Complaint received through the District Collector, Medak	M/s Fregario Conserva Aliana Ltd., Algol (V), Medak District	Directions issued to the industry and is being monitored regularly by the Board.
50.		Sarpanch, Didgi (V), Zaheerabad (M) (and also through the District Collector)	-do-	-do-
51.		Sri A. Narendra, Hon'ble Minister of State for Rural Development, GOI	-do-	-do-
52.		District Supply Officer, E.G. District.	Slaughterhouse located at chodavaram.	RDO, Rajanmundry to initiate action against the slaughterhouse under 133 Cr.P.C
53.		Sri V. Rama Swamy, Padmasali Bahottama Society, Mangalagiri town, Guntur district	M/s. Kalakoti Boyaju Slaughter-house	Directions issued to stop production.

1	2	3	4	5
54.		Mrs. Kauser Shaheen, Hyderabad	Ramnisthpura slaughterhouse.	The slaughter house was closed on 31-12-2003 as per the Hon'ble High Court.
55.	Rajasthan (1)	Shri M.P. Jain, MLA, Tonk. (2004)	Shifting of Slaughter House at Tonk.	Directions issued to the Municipal Board for the Closure of slaughter-house.
56.	Jammu & Kashmir (1)	Residents of Mohalla Idgah, Bhadherwah, Doda. (2004)	Slaughter house run by notified area committee, Bhadherwah.	Directions issued to the Administrator, Municipal Committee to follow guidelines issued on solid waste manage-ment.

डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा: महोदय, मेरा प्रश्न स्लॉटर हाउस के द्वारा पर्यावरण को दूषित करने के बारे में है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके द्वारा देश के सभी बूचड़खानों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भेज कर, वहां पर उपयुक्त मानकों के अनुसार संयंत्र लगाने पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अनरजिस्टर्ड बूचड़खानों को बंद करने की कोई कार्यवाही करेगी?

श्री नमो नारायण मीणा: महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई शिकायतें सेंट्रल कमीशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट कमीशन कंट्रोल बोर्ड के पास आती हैं, उन पर जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल के बाद अगर यह पाया जाता है कि किसी भी कानून का वायोलेशन हुआ है, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है।

डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार देश में केवल 765 बूचड़खाने हैं, जबकि कृषि मंत्रालय के अनुसार 3030 रजिस्टर्ड और 25000 के करीब अनरजिस्टर्ड बूचड़खाने हैं। क्या अनरजिस्टर्ड बूचड़खानों को बंद करवाने के लिए आप कोई कार्यवाही करेंगे और रजिस्टर्ड बूचड़खानों में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो मानदंड हैं, क्या उन्हीं के अनुसार संयंत्र लगवाए जाने की कार्यवाही करने का वे कष्ट करेंगे?

श्री नमो नारायण मीणा: महोदय, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, उसके अनुसार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो सूचना दी है, वह हमने इसमें अंकित की है। जहां तक बूचड़खानों की संख्या का सवाल है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एनीमल हज्बैंड्री डिपार्टमेंट से जो आंकड़े जारी हुए हैं, उनमें 3030

रजिस्टर्ड बूचड़खाने हैं और उनके लिए जो भी मानदंड निर्धारित किए गए हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। यदि उन निर्धारित मानदंडों की पूर्ति नहीं होती है, तो जो विभिन्न एक्ट्स हैं, चाहे वह म्युनिसिपल एक्ट हो या प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनीमल एक्ट हो, चाहे स्लॉटर हाउसिज़ के जो रूल्स हैं, वे हों, चाहे वॉटर एक्ट हो, इनके तहत जो भी वायोलेशन होता है, तब उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है। जहां तक आपने अनऑथाराइज्ड बूचड़खानों की बात की है, वे भी इन्हीं एक्ट्स के तहत कवर्ड हैं। जिस भी एथॉरिटी के पास इस तरह की शिकायत आती है अथवा किसी भी कानून का वायोलेशन होता है, तब उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है।

डॉ छत्रपाल सिंह लोधा: लेकिन अनरजिस्टर्ड बूचड़खाने वाले कानून कैसे निर्धारित करेंगे?

श्री उपसभापति: आपके दो सप्लीमेंट्री हो गए हैं।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: उपसभापति जी, धन्यवाद। महोदय, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और उसमें यह कहा गया है कि देश में गाय, बैल अर्थात् गोवंश का कोई भी पशु, चाहे बछड़ा हो या बछिया हो, उसे काटा नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बूचड़खानों में गोवंश के किसी भी पशु को, चाहे वह वृद्ध हो, दुधारू हो, बछड़ा हो, बछिया हो या बैल हो, काटे जाने के खिलाफ कानून बनाने पर कोई विचार कर रही है?

श्री नमो नारायण मीणा: महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, उसकी पूरी कम्प्लाइंस की जानी चाहिए। और उसके खिलाफ जहां कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डायरेक्शन के खिलाफ कोई वॉयलेशन हो रहा है तो संबंधित एजेंसीज को उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: उपसभापति महोदय, मैंने कानून बनाने की बात पूछी है कि क्या सरकार कानून बनाएगी?

श्री नमो नारायण मीणा: इस तरह का अभी कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, this is a very important Ministry. But the problem with the Ministry is that it is very casual. Either they don't have enough powers or they are not really serious. You can see it from the reply itself.

Item No. 3, somebody in Delhi itself, Shri Laxmi Narain Modi is the complainant, says, "Slaughter Houses except the one or two in general do not have ETP for proper treatment of effluents including those situated in metropolitan cities and capital towns". They don't even know whether it

is one or two slaughter houses that don't have ETP. This is a very casual reply. They should, at least, know whether it is one or two. In this kind of situation, I would also like to know if there is any standard for everything in the slaughter houses, and, if there are no standards, will the Minister like to establish some standards.

श्री नमो नारायण मीणा: सर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि स्लॉटर हाउसेज के एफल्युएंट के डिस्पोजल के लिए ई॰पी॰ एक्ट के तहत 1991 में नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसमें कुछ स्टेंडर्ड निर्धारित किए हुए हैं। सेंट्रल पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी एफ्यूलेंट के स्टेन्डर्ड निर्धारित किए हुए हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि एफल्युएंट की लम्बी लिस्ट है, मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा। मैं इसमें दो स्टेंडर्ड आपको बता देना चाहता हूं कि जो केटेगरी ऑफ स्लॉटर हाउसेज है अबाउट 70 टी॰एल॰डब्लू॰के॰ इसमें हंड्रेड बी॰ओ॰डी॰, बी॰एस॰एस॰ हंड्रेड, ऑयल एंड ग्रीस 10, 70 टी॰एल॰डब्लू॰के॰ एंड बिलो, बी॰ओ॰डी॰ फाइव हंड्रेड, ये स्टेंडर्ड निर्धारित किए हुए हैं। अगर कोई स्टेंडर्ड के खिलाफ काम करता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जहां तक मैंने बताया बहुत सारे कानून हैं इसके बारे में, और अगर इनमे से किसी का भी वॉयलेशन होता है तो उसके खिलाफ इन कानूनों के तहत एंफोर्समैंट एजेंसीज द्वारा एक्शन निर्धारित किए गए हैं, ब्यूरो आफ इंडियन स्टेंडर्ड्स ने भी कुछ स्टोरेज के और कुछ ट्रांसपोर्ट निर्धारित किए हुए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Malaisamy. (*Interruptions*)

SHRI SANTOSH BAGRODIA: सर, इसका स्पेसिफिक जवाब नहीं है। Sir, at least, he should assure the House... (*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He said he would send the details.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: No. Let him send the details about the standards.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He said he would forward all the details. (*Interruptions*)

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, for standards, he will send the details. But whether the figure is one or two. I am only sticking to the reply that he has given.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please send all the details whatever it is alongwith that. Yes, Dr. Malaisamy.

DR. K. MALAISAMY: Mr. Deputy Chairman, Sir, there is a Central

Pollution Control Board under the Central Government, and there are State Pollution Control Boards under the State Governments. I would like to ask whether there is any concurrent jurisdiction in certain areas. In other words, is there any area having concurrent jurisdiction by the Central Government as well as by the State Government. Supplement to that, I would like to ask, whether you have got any coordination mechanism between the Central Government and the State Governments.

श्री नमो नारायण मीणा: सर, जहां तक ज्यूरिसडिक्शन का सवाल है, सेंट्रल पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ज्यूरिसडिक्शन थ्रूआउट कंट्री है और स्टेट पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उनके स्टेट में ज्यूरिसडिक्शन है। जहां तक कोआर्डिनेशन का सवाल है—environment subject is in the Concurrent List of the Constitution—कोआर्डिनेशन हम लोगों का है, हम लोग कानून भी बनाते हैं, टेक्नीकल असिस्टेंस भी देते हैं, फाइनेंसियल असिस्टेंट्स भी देते हैं। There is perfect coordination under the sector.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, there are two aspects of pollution. One is the pollution created by the slaughter-houses and the second one is the pollution created in the process of transportation of these animals. Sir, the transportation itself is so inhuman, which, perhaps, is not dealt with by this Ministry. So, I will not elaborate on that. But, the way the animals are dragged on the roads, sometimes they are just pushed on the road, they are not even taken in any container. And, even if they are taken in a container, I have given an example of I see in Kolkata day in day out, the chickens are taken on a cycle with their heads down. It is absolutely unacceptable in a modern society. So, Sir, my question is, during the transportation, when the animals just walk, or, they are made to run and there is a lot of pollution created, would the Minister consider some kind of a standard transportation of animals which should not be inhuman as well. Thank you.

श्री नमो नारायण मीणा: सर, माननीय सदस्य की जो क्वेरीज़ हैं, उनके बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे एक्ट हैं, म्युनिसिपल एक्ट है, प्रिवेंशन आफ क्रुअलिटी टू ऐनिमल्स एक्ट है, इनके प्रावधानों का अगर कोई वॉयलेशन करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी गाइडलाइन्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आफ स्लॉटर हाउस बाई प्रोडक्ट्स के बारे में जारी की हुई हैं। बाकी ऐनिमल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वह तो क्रुअलिटी टू ऐनिमल्स एक्ट के तहत आता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ इस तरह के मामले आते हैं, जहां ऐनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन में क्रुअलिटी आती है और उनके खिलाफ एक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा प्रिवेंशन आफ क्रुअलिटी टू ऐनिमल्स एक्ट के तहत [illegible] है।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I asked for a very important question.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have taken four supplementary questions from each party.

Antyodaya Anna Yojana in Andhra Pradesh

*243. SHRI NANDI YELLAIAH: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether the Society for Elimination of Rural Poverty has estimated that in Andhra Pradesh, 23,84,535 families are at the risk of hunger;

(b) whether at present 12,33,600 families are covered under the Antyodaya Anna Yojana scheme in the State;

(c) if so, the details thereof;

(d) the details of the scheme and guidelines for its implementation;

(e) whether 13,49,990 families are yet to be covered under this scheme;

(f) if so, the details therof; and

(g) whether Government would take immediate steps to cover all these families, including all the left-over families under the scheme?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (g) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) At present, 15.578 lakh families have been identified and issued distinctive Ration Cards in Andhra Pradesh under the Antyodaya Anna Yojana (AAY). Out of this, 6.228 lakh families have been covered under the normal AAY launched in December, 2000, 3.117 lakh families under the 1st expansion made during 2003-04, 2.991 lakh families under the 2nd expansion made during 2004-05 and 3.242 lakh families under the 3rd expansion made during 2005-06. Allocation of foodgrains is already being made to the State Government for all these identified AAY families at the prescribed scale of issue.